मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

सूचना क्रमांक 03/01/परीक्षा/2015 दिनांक 18.01.2016

राज्य सेवा परीक्षा 2015

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुओं की सूचना

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2015 का विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2015 दिनांक 29.10.2015 जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के संदर्भ में राज्य सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा दिनांक 24.01.2016 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है

02 उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जांच की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है :-

वर्जित वस्तुएं:-

परीक्षा में इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते है। चेहरे को ढकने वाला स्कार्फ, रूमाल, दुपट्टा या अन्य प्रकार की कोई भी वस्तु वर्जित होगी। एसेसरीज़ जैसे हेयर क्लिप, क्लचर, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, टोपी इत्यादि वर्जित है।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहनने वाले सभी प्रकार के आभूषण की सूक्ष्मता से परीक्षण व तलाशी ली जाएगी।

04 अभ्यर्थी कृपया उक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा परीक्षा में सम्मिलित होते समय पैरा-2 में उल्लेखित वस्तुएं धारण न करें।

सचिव